सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 24.12.2024

 # साइबर फ्रॉड करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

आम जनमानस को सस्ते ब्याज पर लोन दिलवाने एवं उन्हें नौकरी दिलाने का झाँसा देकर उनके बैंक में एकाउन्ट खुलवाकर उनके एटीएम, पासबुक, चैक तथा सिमकार्ड का प्रयोग कर साइबर फ्रॉड करने वाले 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

कब्जे से फ्रॉड में प्रयुक्त मोबाइल, आधार कार्ड, बैंक चैकबुक, एटीएम कार्ड किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना साइबर क्राइम इटावा एवं थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

I,4,C (इन्डियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेन्टर) द्वारा सम्पूर्ण भारत मे साइबर अपराध करने वाले अभियुक्तों का डाटा सभी राज्यों की राजधानी को उपलब्ध कराया जाता है। जिसके माध्यम से जनपद इटावा में **STR** (SUSPICIOUS TRANSACTION RECORD) से संबंधित अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं साइबर फ्रॉड के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले गैंग के पर्दाफाश हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 23.12.2024 की रात्रि को थाना साइबर क्राइम इटावा एवं थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत विजयनगर चौराहे पर भ्रमणशील थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि मु0अ0सं0 359/2024 में वांछित अभियुक्त तुलसी अड्डा की तरफ से कोकपुरा जाने वाले सर्विस रोड पर खड़ा है। सूचना पर तत्काल थाना फ्रेंण्डस कालोनी पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये **01 व्यक्ति को तुलसी अड्डा की ओर से कोकपुरा जाने वाले सर्विस रोड से समय 23.55 बजे गिरफ्तार किया गया।**

नोटः- **दिनांक 22.12.2024 को 04 अभियुक्त हर्ष उर्फ नागेन्द्र सिंह पुत्र संजय पाल, पाल रोहन प्रदीप पुत्र प्रदीप पाल, इमरान खान पुत्र शराफत खान, अनुराग यादव पुत्र नेत्रपाल सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।**

पुलिस पूछताछः-

पकड़े गये व्यक्ति से पुलिस टीम द्वारा नाम पता पूछते हुये तलाशी ली गयी तो कब्जे से 01 मोबाइल, 03 आधार कार्ड, 04 डेबिड कार्ड(भिन्न-भिन्न बैंक), 03 चैक बुक(भिन्न-भिन्न बैंक), बरामद किये गये उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि मैं अपने साथियों के साथ मिलकर आम जनमानस को बैंक से सस्ते ब्याज पर लोन दिलवाने एवं सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योगों में रजिस्ट्रेशन करवाकर रोजगार दिलवाने के नाम पर खाता खुलवा लेते हैं, उनके नाम पर इन खातों से लिंक मोबाइल सिम कार्ड भी निकलवा लेते हैं और बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी खातों की किट (चैकबुक/पासबुक/एटीएम कार्ड) के यूजर आईडी पासवर्ड व बैंक में लगे सिम कार्ड को उनसे लेकर टेलीग्राम एप्प पर बने ग्रुप E-PAY, ZED-PAY पर खातों की सम्पूर्ण जानकारी भेज देते हैं **जिसके उपरान्त उन खातों में साइबर फ्रॉड का रूपया आता है उसका लाभ इन दोनों एप्प के संचालक लेते हैं जिस पर हमें कमीशन रूप में एक खाता उपलब्ध कराने का 70,000/- से 1,00,000/- रूपये तक मिलते हैं। इसके अतिरिक्त एक से डेढ़ प्रतिशत रूपये कम्पनी के द्वारा भी हमें लाभ के रूप में दिया जाता है।**

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. उदित नारायण जयसवाल पुत्र राम आसरे निवासी रामपुरी सिविल लाइन थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव उम्र 23 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 359/2024 धारा 319(2)/318(4)/336(3)/338/340(2)/3(5)/345(3) बीएनएस व धारा 66C/66D आईटी एक्ट थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. 01 मोबाइल मोटोरोला कम्पनी
2. 04 डेबिट कार्ड **(भिन्न-भिन्न बैंक)**
3. 03 आधार कार्ड
4. 03 चैक बुक **(भिन्न-भिन्न बैंक)**

पुलिस टीमः- **प्रथम टीमः-** निरी0 श्री रणबहादुर सिंह प्रभारी थाना साइबर इटावा मय टीम।

द्वितीय टीमः- उ0नि0 श्री अमित मिश्रा थानाध्यक्ष फ्रेण्डस कालोनी, उ0नि0 सन्त कुमार, उ0नि0 कृष्ण कुमार, उ0नि0 नितिन चौधरी, का0 विकल कुमार, का0 संसार सिंह।